

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023 — फाल्गुन 29, शक 1944

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2023/50.—

“वीरांगना” रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार

प्रस्तावना :- छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से “वीरांगना” रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है, इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “वीरांगना” रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार नियम - 2023” है।
- (2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :-

- (अ) “महिलाओं” से तात्पर्य एक या एक से अधिक महिलाओं से है।
- (ब) “निर्णायक मंडल” से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठित निर्णायक मंडल से है।

3. पुरस्कार का स्वरूप :-

1. “वीरांगना” रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार राशि 2.00 लाख रुपये नगद/चेक के रूप में दिया जायेगा। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल द्वारा चयन होने पर निर्णय के आधार पर पुरस्कार की राशि नगद/चेक, सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जायेगा।
2. पुरस्कार हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं रहेगा।

4. निर्णायक मंडल का गठन :-

राज्य शासन, महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में भारसाधक मंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल, जो कि पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा। जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

1. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग
2. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
3. सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।

इसके अतिरिक्त ख्याति प्राप्त पुरस्कार हेतु ऊपर उल्लेखित क्षेत्र में जानकार व्यक्ति/विशेषज्ञ के 02 प्रतिनिधि निर्णायक मंडल (जूरी) हेतु नामांकित किये जा सकेंगे।

5. निर्णायक मंडल की शक्तियां :-

- (1) निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा।
- (2) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (3) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी जूरी अपने स्वविवेक से ऐसी किसी महिला के प्रस्ताव पर विचार कर सकेगी जिन्हें पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाये।
- (4) सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये एक ही व्यक्ति (महिला) का चयन होगा।
- (5) निर्णायक मंडल की बैठक का संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
- (6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किए जाने पर यदि ज्यूरी के सदस्य यदि बाहर से आते हैं तो उन्हें वायुयान द्वारा यात्रा की पात्रता होगी तथा उन्हें शासन द्वारा निर्धारित दरों पर वातानुकूलित वाहन एवं वातानुकूलित आवास की व्यवस्था शासकीय गेस्ट हाऊस उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी सम्मानजनक होटल में ठहरने की व्यवस्था की जायेगी।

6. चयन प्रक्रिया :- पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्ति (महिला) के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा। प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिए यथा आवश्यक समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेंगी। विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।

2. (अ) प्रविष्टियां जिला कलेक्टर के समक्ष सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जावेगी।”
1. महिला का पूर्ण परिचय।
 2. महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में किये गये मय सेवा कार्यो की सप्रमाण विस्तृत जानकारी। यह प्रमाणपत्र भी संलग्न करना होगा कि उपलब्धी वास्तविक तथ्यों पर आधारित है।
 3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
 4. उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की एक-एक छायाप्रतियां।
 5. महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की छायाप्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां।
 6. अन्य सुसंगत दस्तावेज, जो आवश्यक हों।
 7. चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में महिला की लिखित सहमति।
- (ब) प्रविष्टियों के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अधोनुसार समिति द्वारा परीक्षण कर प्रत्येक जिले से सर्वोत्कृष्ट दो प्रविष्टियां राज्य स्तर पर अनुशंसा कर भेजी जावेंगी।
- | | | |
|---|---|---------|
| 1. जिला कलेक्टर | — | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत | — | सदस्य |
| 3. उपसंचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग संबंधित जिला | — | सदस्य |
| 4. उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग | — | सदस्य |
| 5. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संबंधित जिला | — | सदस्य |
- संयोजक
- (स) समिति की अनुशंसा के उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा प्रत्येक अनुशंसित महिला के संबंध में एक संक्षेपिका तैयार कर प्रेषित की जावेगी जो उपरोक्तानुसार कंडिका 2 (अ) में वर्णित बिन्दुओं को समाहित करेगी।
- (द) जिला स्तर से प्राप्त अनुशंसा के उपरांत नियम पांच के अनुसार निर्णायक मंडल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। यद्यपि ज्यूरी स्वविवेक से प्राप्त प्रकरण या अप्राप्त अन्य किसी भी प्रकरण पर निर्णय ले सकेगी या विचार कर सकेगी।

3. (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और भारते लागू नहीं होगी।
(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित महिला का सेवा कार्य पुरस्कार योग्य नहीं है, निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाली ऐसी महिला पश्चात्वर्ती वर्षों में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगी।
4. प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार कर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा परंतु राज्य शासन को अधिकार होगा कि जहां यह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेगा।
6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के तत्काल बाद संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा।

पंजीयन क्र.	महिला का नाम तथा पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य
1	2	3	4	5

7. पंजीयन के पश्चात् प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवाई जावेगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा :-

- (1) व्यक्ति का नाम तथा पता।
- (2) प्रस्तावक।
- (3) सेवा कार्य की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा।
- (4) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान।
- (5) प्रमाण/टिप्पणियां।
- (6) पुरस्कार ग्रहण करने बाबत सहमति दी है/नहीं दी है।

7. चयन के मापदण्ड :- पुरस्कार के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति (महिला) के चयन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड रहेंगे :-

- (1) पुरस्कार के लिये निर्णायक मंडल द्वारा ऐसी व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य में वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो।

- (2) निर्णायक मंडल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यों का आंकलन होगा अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेगा। नियम 1 के क्षेत्र में परिणाममूलक निरंतरता भी आवश्यक है।
- (3) महिला/प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए बताई गई उपलब्धियां वास्तविक तथ्य पर आधारित हैं।
- (4) पुरस्कार चूंकि महिला के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा इसलिए सेवा कार्य में व्यक्ति द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है।
- (5) सेवा के क्षेत्र में महिला के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए जो कि प्रमाण-पत्रों, पत्र कतरनों एवं प्रतिवेदनों से परिपुष्ट/समर्पित होगा।
- (6) यह भी देखा जायेगा कि परंपरागत तरीके से अलग हटकर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है।
- (7) वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने संबंधी उसके सेवा कार्य को पुरस्कार के लिये विचार किया जायेगा जो महिलाओं के उत्थान हेतु विशिष्ट कार्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
- (8) अपनी प्रविष्टि के साथ महिला को यह लिखित सहमति देनी होगी कि वह पुरस्कार ग्रहण करने हेतु सहमत है।
- (9) शासकीय सेवक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।
- (10) निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य से संबंधित संस्था से संबंधित/परिवार के सदस्य उस वर्ष के पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मंडल में संस्था से संबंधित व्यक्ति सदस्य है।

8. पुरस्कार की घोषणा :-

निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित महिला की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

9. अलंकरण समारोह :-

पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित महिला को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थिति में पुरस्कृत महिला अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। चयनित महिला को समारोह के लिए शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. व्यय की समपूर्ति :- पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जावेगी।

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :- राज्य शासन (महिला एवं बाल विकास) को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव विशेष, महिला एवं बाल विकास की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकृत होंगे।

12. अन्य दायित्वों का निर्वहन :- प्रतिवर्ष प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयनित महिला आदि का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा संधारित किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चंद्राकर, विशेष सचिव.

प्रपत्र-क

“वीरांगना” अवन्ति बाई लोधी पुरस्कार वर्ष 2023 हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

.....

फोटो चस्पा करें
 (स्वयं के द्वारा
 सत्यापित)

1. आवेदिका का नाम :
2. आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
3. पिता/पति का नाम :
4. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
- (हिन्दी में) :
- (ब) स्थाई पता :
5. (अ) जन्मतिथि (अंको में) :
- (शब्दों में) :
6. आवेदक का मोबाईल नंबर :
7. महिला द्वारा संपादित सेवा कार्यों की उपलब्धि का : —
- संक्षिप्त ब्यौरा
-
-
-
-
-
-
-
-
8. अन्य पुरस्कारों व सम्मान का विवरण :
9. प्रमाण/टिप्पणियों का विवरण :
10. सम्मान ग्रहण करने संबंधी सहमति :

11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हां/नहीं

संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई भी जानकारी छुपायी या असत्य कथन नहीं बतायी गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता :-

.....

.....

.....

.....

प्रपत्र – ख

“वीरगंगा” अवन्ति बाई लोधी पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी

1. जिले का नाम :.....
2. कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या :.....
3. भासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था / शासकीय :.....

सेवक होने अथवा अन्य कारणों से
अप्राप्त पाये गये प्रविष्टियों की संख्या

4. कुल पात्र प्रविष्टियों की संख्या :.....
5. समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अनुशंसित महिला का नाम एवं पता
 -
 -

प्रतिहस्ताक्षर
कलेक्टर / अपर कलेक्टर
जिला –(छ.ग.)

हस्ताक्षर
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला –(छ.ग.)

प्रपत्र – ग

“वीरांगना” अवन्ति बाई लोधी पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए जिले से की गई
अनुशंसा का विवरण

- 1 जिले का नाम :
- 2 अनुसंशित महिला का नाम तथा :
- पता (एक से अधिक के लिए पृथक-पृथक भरे)
- 3 महिला द्वारा संपादित सेवा कार्यों की उपलब्धि का संक्षिप्त ब्यौरा
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- 4 अन्य पुरस्कारों व सम्मान का विवरण
- 5 प्रमाण/टिप्पणियों का विवरण
- 6 सम्मान ग्रहण करने संबंधी सहमति दी है अथवा नहीं विवरण

प्रतिहस्ताक्षर
कलेक्टर/अपर कलेक्टर
जिला –(छ.ग.)

हस्ताक्षर
जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला-(छ.ग.)

Atal Nagar, the 15th March 2023

NOTIFICATION

No. F 4-1/2023/50.—

"Veerangana" Rani Avantibai Lodhi Memorial Award

Introduction:- Chhattisgarh government has decided to give "Veerangana" Rani Avantibai Lodhi Memorial Award with a view to encourage the contribution of women, especially in the field of bravery, courage and empowering self-confidence among women. The following rules are made to regulate and determine the process of this honor:-

1. Short title:-

- (1) The short title of these rules is the Veerangana Rani Avantibai Lodhi Memorial Award. Rules 2023"
- (2) These rules will be effective in the entire state of Chhattisgarh from the date of issue by the Government.

2. Definitions: - In these rules, unless the context otherwise requires: -

- (a) "women" means one or more women;
- (b) "Judicial Board" means the Jury constituted under rule-4 of these rules.

3. Nature of Award:-

1. "Veerangana" Rani Avantibai Lodhi Memorial Award amount of Rs.2.00 lakh will be given in the form of cash/cheque. This award is given to only one women in the State of Chhattisgarh every year , especially for their outstanding contribution in the field of bravery, courage and empowering the self-confidence of women, on the basis of the decision on selection by the jury appointed by the state government every year to the woman resident of Chhattisgarh. The amount will be given in the form of cash / cheque, plaque with honor and insignia.
2. There will be no restriction of age limit for the award.

4. Constitution of the Jury:-

The state government will constitute a five-member jury under the chairmanship of the minister of the department in the field of empowerment of women, especially bravery, courage and self-confidence among women. consisting of the following members

1. President, CG. State Women's Commission
2. President, Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights
3. Secretary, Chhattisgarh Government, Women and Child Development Department.

Apart from this, 02 representatives of knowledgeable person/expert in the field mentioned above can be nominated for the jury for the prestigious award.

5. Power of the Jury:-

- (1) The selection made by the Jury will be final and binding on the Government.
- (2) No objection or appeal will be accepted regarding the selection of the award.
- (3) In addition to the entries received for the respective award year, the jury may, at its discretion, consider the proposal of any woman whom it finds to be in consonance with the objectives of the award.
- (4) Generally only one person (woman) will be selected for the award every year.
- (5) The entire proceedings of the meeting of the Jury Board shall remain confidential and no written record shall be kept of the deliberations held during the meeting except for the written recommendation made by it with consensus.
- (6) If the members of the jury come from outside when the honorable members of the jury are invited for the selection process, then they will be eligible to travel by air and they will be provided with air-conditioned vehicles and air-conditioned accommodation at government guest houses at the rates fixed by the government. In case of non-availability, arrangements will be made to stay in a private respectable hotel.

6. Selection Process:- The process of selection of suitable person (female) for the award will be as follows:-

1. 1. The Principal Secretary / Secretary / Special Secretary Women and Child Development Department on the behalf of the State government . invite entres for the year for which the award is to be given in the najor news papers of the State of Chhsttisgarh. Through the Directorate of Public Relation Advertisement Necessary time will be given to submit/send the entries. Entries received after the due date will not be considered for consideration. The state government will be able to make changes if necessary in the time of issuing the notification etc.
2. (A) The entries will be presented before the District Collector in a sealed cover, fulfilling the following requirements.
 1. Full introduction of the women.
 2. Evidenced detailed information about the services done by women, especially in the field of valor, bravery, courage and empowering the self-confidence of women. A certificate has also to be attached that the achievement is based on actual facts.
 3. Details of any other award received, if any.
 4. If any report has been published on the subject of excellent service work, then its details and one photocopy each of the published report.
 5. Photocopies/attested copies of comments made by eminent papers/magazines and institutions regarding excellent work in the field of empowering women, especially bravery, valor, courage and self-confidence among women.
 6. Other relevant documents, as may be required.
 7. Written consent of the woman to accept the award in case of selection.

(b) In relation to the entries, the best two entries from each district will be recommended and sent to the state level after examination by the committee constituted under the chairmanship of the district collector.

1. District Collector - President
2. Chief Executive Officer District Panchayat - Member
3. Deputy Director / Assistant Director Public Relations Department
Concerned District - Member
4. Deputy Director Panchayat and Social Welfare Department - Member
5. District Program Officer / Women and Child Development Officer Concerned District - Member
Convener

(c) After the recommendation of the committee, a summary will be prepared and sent by the District Program Officer/District Women and Child Development Officer in relation to each recommended woman, which will include the points mentioned in paragraph 2 (a) above.

(d) After the recommendation received from the district level, according to rule five, the final decision will be taken by the jury. However, the jury can decide or consider any other case received or not received at its discretion.

3. (a) No other conditions will be applicable for selection other than the criteria specified in the rules.

(b) Non-selection once shall not mean that the service work of the woman concerned is not eligible, such woman fulfilling the prescribed criteria may submit the Application again in the subsequent years.

4. Subsequent correspondence other than the facts/information contained in the entry will not be considered for the award.

5. The entire responsibility of the facts/conclusions/evidence given in the entry will be of the entry presenter. In this case, the State Government will not be considered as party to any dispute, but the State Government will have the right to verify the facts/conclusions/evidences given from its own sources, wherever it considers necessary.

6. Immediately after receipt of all the entries received up to the prescribed date, they will be registered in the following form in the register of the respective award year.

Registration no.	Name and address of the woman	designation and address of the entry applicant	Total number of pages of documents received	Other
1	2	3	4	5

7. After registration, a summary will be prepared for the meeting of the jury in respect of each entry in the following heading points by the Principal Secretary/Secretary/Special Secretary, Women and Child Development, which will include the following information:-

- (1) Name and address of the person.
- (2) Proponent.
- (3) Brief description of achievements of service work.
- (4) Awards/honours received.
- (5) Evidence/Comments.
- (6) Has/has not given consent regarding receiving the award.

7. **Criteria of selection:-** The following criteria will be there for the selection of an outstanding person (female) for the award:-

- (1) Such a person will be selected by the jury for the award, who has dedicated long-term excellent service in the field of bravery, courage and empowering women in the State of Chhattisgarh.
- (2) Both past and present service works will be assessed by the jury, that is, the award will not be given only on the basis of past service achievements. Consequential consistency is also necessary in the area of Rule 1.
- (3) The woman/proposer will have to submit a certificate that the achievements mentioned for the honor are based on actual facts.
- (4) Since the award will be given on the basis of the overall contribution of the woman, it is necessary to have sufficient evidence regarding the personal contribution made by the person in the service work.
- (5) The overall contribution of women in the field of service should have a wide impact in the relevant field/category, which will be confirmed/dedicated by certificates, letter clippings and reports.
- (6) It will also be seen to what extent and to what extent innovation, ie new method and new field, have been adopted in the field of empowering bravery, courage and self-confidence among women, apart from the traditional method.
- (7) Her service work related to bravery, courage and empowering the self-confidence of women will be considered for the award, which is directly related to the specific work for the upliftment of women.
- (8) Along with her entry, the woman has to give a written consent that she agrees to accept the prize.
- (9) Government servant shall not be eligible for award.
- (10) The member of the institution related to the non-official member of the jury will not be able to submit his entry for the award of the year in which the person related to the institution is a member of the jury of the award.

8. **Announcement of the award:-**

The jury will submit its decision confidentially to the state government and the woman selected for the honor will be formally announced by the state government.

9. Investiture Ceremony:-

The State level decoration ceremony of the awards will be organized every year as per the decision taken by the State Government, in which the selected women will be invited to participate. In special circumstances, the awardee women will be able to bring along only one assistant for their help, who will get the facility of travel and accommodation along with them. The selected woman will be eligible to travel by rail and air equivalent to a senior level officer of the government for the ceremony and get travel allowance.

10. Reimbursement of Expenditure:- The Chhattisgarh Government will reimburse the expenditure incurred on the arrangements related to the award and decoration ceremony.

11. Amendment and change in rules:- The State Government (Women and Child Development) will have the right to amend and change the award rules as per the requirement. In relation to the provisions contained in these rules, the interpretation of the Principal Secretary / Special Secretary, Women and Child Development will be considered as authoritative and final, the right to resolve such matters, which are not mentioned in the rules, will also be given to the Principal Secretary / Secretary / Special Secretary, Government of Chhattisgarh, Women and Child Development Department will be authorized.

12. Performance of other responsibilities:- Every year the record of entries received and selected women etc. will be maintained by the Directorate of Women and Child Development in a separate volume.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
POSHAN CHANDRAKAR, Special Secretary.

8. Details of other awards and honors :

9. 9. Details of evidence/comments :

10. Consent to receive the honour :

11. Is the applicant serving in a government/semi government organization? yes/no

List of attached certificates:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Announcement

I hereby declare that all the particulars given in this form and the records attached are true to the best of my knowledge and belief and no information has been concealed or misrepresented.

place :-

Date :-

signature of Applicant

Name and full address:-

.....

.....

Form - B

Information about the applications received for the "Veerangana" Avanti Bai Lodhi Award for the year 2023

1. Name of the District
2. Total number of applications received
3. Government/Semi-Government organization/Government (Number of entries found inaccessible due to service or other reasons)
4. Total number of entries received
5. Name and address of the woman recommended as per the decision taken by the committee
 -
 -

Counter-signature

Signature

Collector / Additional Collector

District Program Officer

District -(C.G)

District Women and Child Development Officer

District -(C.G)

Form - C

Details of the recommendation made from the district for the "Veerangana" Avanti Bai Lodhi Award for the year 2023.

1. Name of the District :.....
2. Name of the woman recommended and Address (for more than one to be filled separately)

.....

3. Brief description of the achievement of service works done by women

-
-
-
-
-
-
-

4. Details of other awards and honors
5. Details of evidence/comments
6. Whether consent has been given to receive the honor or not .. Details

Counter-signature

Signature

Collector / Additional Collector

District Program Officer

District -(C.G)

District Women and Child Development Officer

District -(C.G)